झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/विविध/471/2011– 17/15-165 स्वी. /राँची, दिनांक 20.07.2015

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आन्तिरक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के भुगतान हेतु रू० 2,10,000.00 (रूपये दो लाख दस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग में e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का भुगतान हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति में किया गया है।

2. e-Governance के अन्तर्गत JAP IT के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर श्री कन्हैयाजी ठाकुर के 12 माह (अप्रैल 2015 से मार्च 2016) के संविदा के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान है।

3. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JAP IT, धुर्वा, राँची का पत्रांक– 1147, दिनांक 20.05.2015 के द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर मुहैया कराने के संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। जिसमें प्रतिमाह प्रति डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के लिए रू० 17435 (Service tax @14% सहित) की दर से राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाना है। यह राशि रू० 17,435.00 X 12 = रू० 2,09,220.00 (Say रू० 2.10 लाख) आती है।

4. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण कर लिया जायगा।

5. इस कार्य पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 4701 – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष –80 – सामान्य, लघु शीर्ष 796 – जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष – 70 – ई–गर्वनेन्स विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59– अन्य व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमंडल, राँची होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।

10. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एमसी०/विविध/471/2011– 17/15-16 ग्र.सी. **/राँची, दिनांक** 20.07.2015

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एमसी०/विविध/471/2011– 17/15-16 ग्र.सी. **/राँची, दिनांक** 20.07.2015

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एमसी०/विविध/471/2011– 17/15-16 ग्र.सी. **/राँची, दिनांक** 20.07.2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एमसी०/विविध/471/2011– 17/15-16 ग्र.सी. **/राँची, दिनांक** 20.07.2015

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के उपस्थिति विवरणी के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

20/7/15

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
20/07/15